

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह आई.ए.एस.



द्वारा संख्या :- 01/221/2014

रिछपाल बनाम सुरेश वगैरा
दावा स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक 12.04.2018

आज पत्रावली न्यायालय में पेश हुई। वकील वादी उपस्थित आये। पत्रावली का अवलोकन किया। वकील वादी व वादी द्वारा प्रतिवादीगण 5, 6 व 9 के अलावा शेष प्रतिवादीगण की तामील हेतु दिनांक 20.11.2014 से अवसर दिये जाने के बाद भी तामील नोटिस पेश कर पालना नहीं की गई है नही आज दिनांक को पालना की जा रही है। ऐसी स्थिति में दावा वादी नॉन कम्प्लायन्स में खारिज किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

(प्रताप सिंह, आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी रैणी (अलवर)